

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आवश्यक अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-304/आई०बी०/22ए-108बी/अनु०-94/पूँजीलेखा/आवट/डिक्रीट/2018-19,
कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ:दिनांक:जून 18, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत शासनादेश सं०-44/854/18-27-सि-3-18एल०ए०/15, दिनांक-12.06.2018 द्वारा थान-अलीपुर नगला, परगाणा-मण्डापर, जिला-बिजनौर के नू-संदर्भवाद संख्या-260/2012 से सम्बन्धित इजरायवाद संख्या-02/2015 विनोद कुमार बनान उ०प्र० सरकार में मा० अपर जिला राज, बेजनीर द्वारा पारित निर्णय 04-02-2015 के अनुपालन हेतु याची के अवशेष नू-प्रतिकर के भुगतान के लिए कुल वांछित धनराशि रु 23,89,603.00 (रुपये तेईस लाख नवासी हजार छः सौ तीन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य संबंधित मुख्य अभियन्ता को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है :-

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 19-पूर्वी गंगा नहर परिशोजना (वाणिज्यिक) 050-भूमि 10-नहरें 1016-नू-प्रतिकर 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(पूर्वीगंगा) मुरादाबाद	23,89,603.00

(रुपये तेईस लाख नवासी हजार छः सौ तीन मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-12.06.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सि०एवं ज०स०वि०।

संख्या-जी-304/(1)/आई०बी०/तद देनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
3. मुख्य अभियन्ता (रूहेतखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।
4. मुख्य अभियन्ता (अनुभवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
6. विभा नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
7. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-6, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।
11. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
12. कट फाईल हेतु।


(चन्द्रमान राम)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०।